



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर



क्रमांक: माशिबो/गोप/2021/21945-21977

दिनांक 03-01-2022

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक (मुख्यालय)
..... राजस्थान)

विषय—उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षा—2022 बाबत।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्तमान में पूरे प्रदेश में कोविड परिस्थितियां प्रतिकूल होती जा रही है तथा कोविड की तीसरी लहर की संभावनाएं भी व्यक्त की जा रही है। ऐसी स्थिति में शिक्षकों एवं परीक्षार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा वर्ष 2022 की उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षाएं, गत वर्ष अनुसार ही विद्यालय स्तर पर, विद्यालयों में अध्यापन करवा रहे योग्य विषयाध्यापकों से दिनांक 17 जनवरी, 2022 से 5 फरवरी 2022 के मध्य सम्पन्न कराने का निर्णय किया है। अतः आप अपने अधीनस्थ विद्यालयों में एतद् बाबत निर्देशित करावें तथा इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सम्पन्न कराने का श्रम करावें :-

- 1) वर्ष 2022 के नियमित परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं, विद्यालय स्तर पर ही, विषयवार अध्यापन करवा रहे योग्य विषयाध्यापकों से उक्त निर्धारित अवधि में सम्पन्न करावें।
- 2) प्रायोगिक परीक्षाओं के दौरान राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 की जारी गाईडलाइन्स की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाए तथा परीक्षाएं उचित दूरी (Social Distancing)से एवं परीक्षार्थियों से मास्क लगवाकर ही सम्पन्न करावें।
- 3) जिन विद्यालयों में किसी विषय का विषयाध्यापक नियुक्त नहीं है, ऐसे विद्यालयों में समीप के किसी अन्य विद्यालय के विषयाध्यापक को नियुक्त कर परीक्षाएं सम्पन्न करावें।
- 4) प्रायोगिक परीक्षाओं के सुव्यवस्थित रूप से संचालन एवं विद्यालयों (राजकीय एवं निजी) के, निरीक्षण हेतु जिले के CBEO को निर्देशित कर उन्हें पाबंद करावें।
- 5) प्रायोगिक परीक्षाएं बोर्ड द्वारा जारी विषयवार संक्षिप्त पाठ्यक्रम अनुसार सम्पन्न कराई जावें इस सम्बन्ध में विषयवार दिशा-निर्देश बोर्ड की वेबसाइट www.rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जारी किये जा रहे हैं।
- 6) विद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षा की सामग्री यथा उत्तर पुस्तिकाएं, ग्राफ, ड्रॉइंग शीट आदि जिले के नोडल केन्द्रों पर यथा समय प्रेषित की जाएगी जिसकी सूचना भी बोर्ड वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी।
- 7) सभी विद्यालयों को निर्देशित करें कि उनके विद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षा हेतु विषयवार परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित कर कम से कम तीन दिन पूर्व आपको प्रेषित करें तथा परीक्षा कार्यक्रम विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कर परीक्षार्थियों को अवगत करावें।
- 8) विद्यालय की विषयवार प्रायोगिक परीक्षा, बोर्ड नियमानुसार सम्पन्न कराकर, विषयाध्यापक द्वारा उत्तरपुस्तिकाओं का अंकन कर, उसके द्वारा ली गई परीक्षा के अंक, अन्तिम बैच की ली गई परीक्षा से दो दिवस में बोर्ड को ऑनलाईन प्रेषित करेंगे जिसका लिंक बोर्ड वेबसाइट के जरिये सूचित किया जाएगा तथा विद्यालय की समस्त विषयों की प्रायोगिक परीक्षाएं सम्पन्न होने के पश्चात् विषयवार


परीक्षक के हस्ताक्षरयुक्त अंको की सूची एक लिफाफे में रखकर बोर्ड को निर्देशानुसार भिजवाएंगे। परीक्षा उपरान्त उत्तरपुस्तिकाएँ विद्यालय में ही विषयवार सुरक्षित रखी जावे। इन्हें बोर्ड को नहीं भिजवावें। बोर्ड द्वारा किसी भी समय किसी विद्यालय की उत्तरपुस्तिकाएँ मंगवाई जा सकती हैं।।

- 9) विद्यालय की प्रायोगिक परीक्षा हेतु बनाये गए युग्म (बैच) अनुसार यदि कोई परीक्षार्थी निर्धारित तिथि को परीक्षा में अनुपस्थित रहता है तो उसकी परीक्षा विषयाध्यापक से उक्त अवधि के मध्य सम्पन्न करवायी जाये।
- 10) किसी विद्यार्थी द्वारा ऐसे विषय का चयन किया है जिसका विद्यालय में संचालन नहीं होता, ऐसे विद्यार्थी की प्रायोगिक परीक्षा जिला शिक्षा अधिकारी की अनुमति से निकट के अन्य विद्यालय में उस विषय के परीक्षार्थियों के साथ सम्पन्न कराई जावे।
- 11) प्रायोगिक परीक्षा प्रतिदिन दो बैचों में सम्पन्न करावें किन्तु किसी विद्यालय में किसी विषय में छात्र संख्या अधिक है तथा विद्यालय में लैब की पूर्ण क्षमता है तो कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए परीक्षा प्रतिदिन तीन बैच में सम्पन्न कराई जा सकती है।
- 12) प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एक नियंत्रण कक्ष दिनांक 16 जनवरी 2022 से 5 फरवरी 2022 तक बनाया जायेगा। जिसमें एक लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत रहेगा। लिपिक को प्रतिदिन रु. 100/- एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को प्रतिदिन 50/- मानदेय देय होगा।

आपसे निवेदन है कि वर्तमान कोविड संक्रमण के दृष्टिगत बोर्ड की उच्च माध्यमिक स्तर की प्रायोगिक परीक्षाएँ बोर्ड नियमानुसार एवं निर्देशानुसार निर्धारित अवधि में सम्पन्न करवाकर इस व्यवस्था में सहयोग प्रदान करावें। बोर्ड द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) को रु. 3000/-, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी को रु. 2000/- एवं प्रत्येक CBEO'S को रु. 2000/- एक मुश्त, जिला शिक्षा अधिकारी के प्रमाणीकरण के आधार पर देय होंगे।


उक्त संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु बोर्ड के दूरभाष 0145-2620739, 2623949 तथा प्रायोगिक परीक्षा सामग्री के संबंध में 0145-2020646 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

भवदीय,


(अरविन्द कुमार सेंगवा)
सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय), राजस्थान, बीकानेर
2. निजी सचिव (मा. अध्यक्ष/सचिव महोदय), माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
3. ए.सी.पी. उप निदेशक, आई.टी. एण्ड सी., माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
4. उप निदेशक-जनसम्पर्क, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर


(अरविन्द कुमार सेंगवा)
सचिव